


फर्द अहकाम

अज अदालत संभागीय आयुक्त जोधपुर

ईश्वरसिंह पुत्र गुलाबसिंह वगैराह बनाम

राज0 सरकार

किस्म मुकदमा राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0भू राजस्व अधिनियम
राजस्व अपील संख्या 49 /2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामीर में जारी हुए
27.05.2024	<p>पत्रावली बाद जांच कार्यालय रिपोर्ट पश्चात उज्र मियाद/उज्र एतराज दर्ज रजिस्टर की गई। वकील अपीलान्त उपस्थित। उक्त अपील राज. भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी, जिला बालोतरा के द्वारा प्रकरण संख्या 703/2021 अनवान राज. सरकार बनाम मोहनीदेवी वगैराह में पारित आदेश दिनांक 30.06.2022 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।</p> <p>उपस्थित अधिवक्ता की स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई तथा अपील के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया एवं अपीलांत अधिवक्ता की स्थगन के संबंध में चाही गई इस्तदुआ पर भी मनन किया जिसके आधार पर अपीलान्त की अपील को आंशिक स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी, के द्वारा प्रकरण संख्या 703/2021 अनवान राज. सरकार बनाम मोहनीदेवी वगैराह में पारित आदेश दिनांक 30.06.2022 में अंकित ग्राम भाटाला में अपीलान्तस के खसरान संख्या 193/113 व 107 की रकबा भूमि की हद तक निरस्त किया जाता है। तथा उपखण्ड अधिकारी सिणधरी को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलान्तस को अपने खेत खसरान भूमि में सम्बन्ध में अपना पक्ष व सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिये जाने एवं वादग्रस्त खसरान भूमि की उभय पक्षकारान की उपस्थिती में मौका जाँच करवाकर मौका रिपोर्ट तलब करने के उपरान्त यदि अपीलाधीन आदेश में संशोधन की आवश्यकता हो तो पुनः यथोचित आदेश पारित करें। कोई भी पक्ष उपरोक्त कदीमी रास्ते को बन्द नहीं करें। पत्रावली इसी स्तर पर निर्णित होकर नम्बर से कम की जावें।</p> <p style="text-align: right;"> संभागीय आयुक्त जोधपुर</p>	